रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2016/चैत्र 8, 1938
No. 746] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2016/ CHAITRA 8, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2016

का.आ. 1217(अ).—यत:, मै. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड., जो कर्नाटक राज्य का पूर्णत: स्वामित्व वाला राज्य औद्योगिक संवर्धन संगठन है, ने कर्नाटक राज्य के हासन में खाद्य प्रसंस्करण तथा संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 573(अ) दिनांक 12 अप्रेल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 159.733 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी, 2008 दवारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 115.33 हेक्टेयर से 159.733 हेक्टेयर क्षेत्र की कमी के लिए प्रस्तावित किया था ;

और यत;, बोर्ड आफ ऐप्रूवल ने अपनी 22वी बैठक, दिनांक 25 फरवरी, 2008 में उक्त प्रस्ताव की इस शर्त पर मंजूरी देदी कि यदि डेवलपर ने कोई कर लाभ उठाया है तो उसे वापिस करना होगा ;

और यत;, मैं. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, कर्नाटक सरकार ने उनके दिनांक 13 जुलाई, 2015 के पत्र सं. वीटीपीसी/एस.ई.जेड/के.आई.ए.डी.बी-एन.ओ.सी/डी.डी/2014-15 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत;, विकास आयुक्त, कोचिन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है

[फा. सं. एफ. 2/387/2006-एस.ई.जेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2016

S.O. 1217(E).—WHEREAS, M/s. Karnataka Industrial Area Development Board, a fully owned State Industrial Promotion Organization in the State of Karnataka, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for food processing and related services at Hassan in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 159.733 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 573(E) dated 12th April, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Karnataka Industrial Area Development Board vide their letter dated 3rd January, 2008 has proposed for reduction of the area from 159.733 to 115.33 ha at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Board of Approval (BoA) in its 22nd Meeting held on 25th February, 2008 has approved the above reduction in area subject to the condition that no tax benefits have been availed by the developer for the area to be deleted.

AND, WHEREAS, M/s. Karnataka Industrial Area Development Board has now proposed for full de-notification of 159.733 hectares area at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. VTPC/SEZ/KIADB-NOC/DD/2014-15, dated 13th July, 2015;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for full de-notification of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/387/2006-SEZ]

DR. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.